

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम  
श्रेणी, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.

क्रमांक-805 / 2011

संस्थित दिनांक-01.11.2011

फाई. क.234503000692011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1-सीताराम पिता ज्ञानाजी क्षीरसागर, उम्र-56 साल,

2-जानकी प्रसाद पिता सीताराम क्षीरसागर, उम्र-21 साल,

सभी निवासी ग्राम बिसतवाही थाना मलाजखंड जिला बालाघाट

— — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-30/08/2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324/34, 506 भाग-2 का आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक-22.09.2011 को समय 5:00 बजे ग्राम बिसतवाही थाना मलाजखंड में लोकस्थान अथवा उसके समीप फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित कर, सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत पुष्पाबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति तथा आहत/प्रार्थी धनीराम को धारदार अस्त्र कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 22.09.2011 को प्रार्थी धनीराम ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सीताराम और जानकीप्रसाद क्षीरसागर ने खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते समय अपनी जमीन होना कहकर लकड़ी, कुल्हाड़ी से मारपीट किये थे। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध

क्रमांक-63/11, धारा-294, 323/34, 324/34, 506 भाग-2 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से आरोपीगण को को गिरफ्तार कर जमानत-मुचलका पर रिहा किया गया। प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

**03-** आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324/34, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान परिवादी धनीराम द्वारा अभियुक्तगण से समझौता कर लेने के कारण अभियुक्तगण को धारा-294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

**04-** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक-22.09.2011 को समय 5:00 बजे ग्राम बिसतवाही थाना मलाजखंड में सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत पुष्पाबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत/प्रार्थी धनीराम को धारदार अस्त्र कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

**-:विवेचना एवं निष्कर्ष :-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02**

**05-** सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**06-** साक्षी धनीराम अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने की तिथि से लगभग दो-तीन साल

पुरानी उनके खेत की है। वह खेत में जुताई कर रहा था और उसकी पत्नी खेत में घास काट रही थी, तभी करीब शाम के चार बजे आरोपी सीताराम और जानकीप्रसाद आये और उसके साथ मारपीट करने लगे और बोले कि उनका खेत क्यों जोतता है, तो उसने बोला कि उसे हिस्सा मिला है उसमें जुताई कर रहा हूँ। सीताराम ने कुल्हाड़ी से मारा। उसे मारपीट करने से कंधे के पास और पैर पर चोट आई थी। बीच-बचाव करने उसकी पत्नी पुष्पाबाई आई थी। बीच-बचाव करते समय उसकी पत्नी के साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की थी और उसे मारपीट करने से चोटें आई थी। रास्ते से गुजर रही सुनीताबाई और अन्य लोगों ने देखे-सुने है। घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखंड में की थी जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसका बिरसा अस्पताल में मुलाहिजा हुआ था। पुलिस मौके पर आई थी और उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक 22.09.2011 की है और आरोपीगण ने उनकी जमीन क्यों जोत रहे हो कहकर मों-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दी थी, सीताराम ने लकड़ी से मारपीट की थी, जिससे उसे दाहिने हाथ की भुजा के उपर, हाथ के पंजे, घुटने और जांघ पर चोटें आई थी। जानकीप्रसाद ने उसके पास रखी कुल्हाड़ी से उसे कंधे पर मार दिया था, जिससे उसे खून निकल रहा था और आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त घटना को सुनीताबाई एवं चमेलीबाई ने देखी सुनी थी।

**07—** साक्षी धनीराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसके पिताजी का नाम गेनाजी था और गेनाजी के नाम पर सात एकड़ जमीन थी। उसके पिता के मरने के पूर्व करीब 54 एकड़ जमीन थी। सब अपने-अपने नाम की जमीन पर काश्त कर रहे थे। यह अस्वीकार किया कि उसके माता-पिता सीताराम के साथ रहते थे। उसके पिताजी ने उसकी बहनों के नाम पर पहले वसीयत की थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं

है कि सीताराम के नाम से वसीयत किया था या नहीं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि ग्राम जानपुर में उसे हिस्सा मिला था। साक्षी के अनुसार सभी को मिला था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि ग्राम जानपुर में उसका परिवार निवास करता था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने वहाँ की जमीन बिक्री कर दी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि ग्राम बिसतवाही में उसका मकान और सीताराम का मकान आसपास है तथा दोनों की खेती भी आसपास है, किन्तु साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसका आना-जाना सीताराम के दहल से ही होता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने आज तक भूमि का सीमांकन नहीं कराया है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि इसलिये सीताराम उसकी जमीन को अपनी कहता है और सीताराम की जमीन को वह अपनी जमीन कहता है। यह स्वीकार किया कि सीताराम के मकान के पीछे सीताराम की जमीन है और उसके मकान के पीछे उसकी जमीन है।

**08—** साक्षी धनीराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि कई सालों से उनका जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, उसने सीताराम को परेशान करने के लिये थाने में झूठी रिपोर्ट लिखाई थी, प्रार्थी सीताराम की भूमि में अवैध कब्जा कर सके इसलिये उसने झूठी रिपोर्ट लिखाई थी, आरोपीगण ने न उसे कोई गाली दी थी और ना ही उसके साथ कोई मारपीट की थी, घटनास्थल पर जानकीप्रसाद नहीं गया था, उसके एवं सीताराम के बीच में बातचीत होती है, किन्तु यह स्वीकार किया कि न्यायालय प्रांगण में वह और आरोपी सीताराम बातचीत कर रहे थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि प्र.पी.02 के दस्तावेज पर उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे और हस्ताक्षर करते समय प्र.पी.02 का दस्तावेज कोरा था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि जिस दिन उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसी दिन मौका नक्शा तैयार किया गया था, किन्तु यह स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल पर ही नक्शे में हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने पुष्पलता को चोट लगने के संबंध में गलत बताया है तथा डॉक्टर ने पुष्पलता की चोटों के संबंध में

कुछ नहीं बताया। साक्षी के अनुसार डॉक्टर ने लिखा होगा। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे तथा उनका जमीन संबंधी निराकरण हो जायेगा तो वे राजीनामा कर लेंगे तथा वह अपने भाई से पुरानी रंजिश रखता है इसलिये उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादी की साक्ष्य घटना के संबंध में अखण्डनीय है, जिसपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

**09—** साक्षी पुष्पलताबाई अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानती है। प्रार्थी धनीराम उसका पति है। घटना उसके साक्ष्य देने की तिथि से लगभग तीन वर्ष पहले उनके खेत की शाम के लगभग चार बजे की है। घटना दिनांक को उसके पति धनीराम खेत पर जुताई कर रहे थे और वह खेत पर घास काट रही थी। उसके पति ने बचाओ-बचाओ आवाज लगाई तब वह वहाँ दौड़कर गई थी और देखा कि जानकी प्रसाद उसके पति को कुल्हाड़ी से मार रहा था और सीताराम के हाथ में लकड़ी थी, जिससे उसके पति को चोट आई थी। फिर जानकी प्रसाद भाग गया था, फिर वह अपने पति को उठाकर घर लेकर आई। उसके पति का ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में हुआ था। उसने मुलाहिजा के संबंध में डॉक्टर को नहीं बताया था। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना 22.09.2011 की है और आरोपीगण ने खेत क्यों जोतते हो कहकर मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियों एवं जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी के अनुसार आज भी जान से मारने की धमकी देते हैं। घटना के बाद में चमेलीबाई और सुनीताबाई भी आये थे, जिन्होंने घटना के बारे में सुना था। यह अस्वीकार किया कि आरोपी जानकी प्रसाद द्वारा कुल्हाड़ी से उसके पति को मारने पर कंधे एवं हाथ पर चोट आई थी तथा आरोपी द्वारा उसे लकड़ी से मारने से पीठ पर चोट आई थी।

**10—** साक्षी पुष्पलताबाई अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उन लोगों का खेत और सीताराम का खेत सीड़ीनुमा उंचा-नीचा है, एक बंधी की दूसरी बंधी नहीं दिखता ऐसा



उंचा-नीचा है, उनका और आरोपीगण का खेत एक-दूसरे से लगा हुआ है, आज तक जमीन का सीमांकन अलग-अलग नहीं करवाये है। एक-दूसरे की जमीन को अपनी होना कहते है, इसलिये विवाद उत्पन्न हो जाता है, भाई-भाई लोग बात नहीं करते है, वह वह आरोपीगण से बात कर लेती है और वह जानकी प्रसाद से भी बात करती है। उनका एक-दूसरे के घर में आना-जाना होता है। उसे सीताराम और जानकीप्रसाद से कोई आपत्ति नहीं है। साक्षी के अनुसार आरोपीगण भी नहीं बोलते तो भी वह उनके घर में आयेगी और जायेगी। उसे जानकारी नहीं है कि उसके ससुर गेनाजी, सीताराम और धनीराम के संबंध में जमीन संबंधी विवाद चला था या नहीं, किन्तु यह स्वीकार किया कि भाई-भाई का आपसी बंटवारा नहीं हुआ कहते है। यह अस्वीकार किया कि वह बंधी से दूर होने के कारण आरोपीगण को मारते हुए नहीं देख पाई थी। साक्षी के अनुसार उसने बीच-बचाव किया था। यह स्वीकार किया कि आरोपी सीताराम ने उसे गाली नहीं दी थी और आरोपी सीताराम ने उसे बहू समझकर उसे बोल दिया था तो उसने बुरा मान लिया, आरोपी सीताराम और जानकी प्रसाद ने उसे और उसके पति के साथ मारपीट नहीं की थी। साक्षी के अनुसार उसके साथ मारपीट नहीं की थी। यह स्वीकार किया कि घटना के समय सुनीताबाई और चमेलीबाई उपस्थित नहीं थे तथा डॉक्टर ने उसका कोई मुलाहिजा नहीं किया था। साक्षी के अनुसार उसके नील के निशान देखे थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था और घटना दिनांक को वह अपने घर पर घरेलू कार्य कर रही थी और खेत नहीं गई थी तथा वह आरोपीगण को फंसाने के लिये अपने पति के कहने पर असत्य कथन कर रही है। उक्त साक्षी ने भी अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ घटना करने के कथन किये हैं।

**11-** साक्षी सुनीता सिरसाद अ.सा.03 का कथन है कि वह वह आरोपीगण एवं प्रार्थी धनीराम तथा आहत पुष्पलताबाई को जानती है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा

साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 22.09.2011 को शाम पांच बजे की है, वह चमेलीबाई के साथ खेत से निंदाई करके वापस आ रही थी, तो रास्ते में सीताराम, जानकीप्रसाद एवं धनीराम का झगड़ा चल रहा था, सीताराम और जानकीप्रसाद लकड़ी से धनीराम को मार रहे थे और धनीराम बीच-बचाव के लिये आवाज दे रहा था, तो उसकी पत्नी पुष्पलताबाई भी बीच-बचाव करने आई थी, उन्हें देखने पर सीताराम एवं जानकीप्रसाद अलग-अलग हो गये थे, सीताराम और जानकी प्रसाद ने धनीराम को जमीन की बात पर मारपीट किया था, जिससे धनीराम को कंधे तथा बांये हाथ की कलाई पर खून निकला था। साक्षी ने प्र.पी.03 का पुलिस कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया।

**12—** साक्षी डॉ० एम. मेश्राम अ.सा.05 का कथन है कि वह दिनांक 22.09.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड के सैनिक पुरुषोत्तम क्रमांक 282 द्वारा आहत धनीराम पिता गेहना उम्र 48 साल निवासी बिसतवाही को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत की बाईं हसली पर एक इंसार्डज्ड चोट, बांये कंधे पर एक खरौंच, दाहिने घुटने के पीछे की ओर एक सूजन, दाहिनी जांघ पर एक सूजन, दाहिनी अग्र भुजा पर एक सूजन तथा बाईं अग्र भुजा पर एक कटी-फटी चोट होना पाया था। उसके मतानुसार आहत को आई चोट क्रमांक 01 किसी धारदार वस्तु से तथा चोट क्रमांक 02 से 06 किसी कड़ी, बोथरी व खुरदुरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोटें उसके परीक्षण से 02 घण्टे के बीच की थी। चोटों को ठीक होने में दस से पंद्रह दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**13—** साक्षी डॉ० एम. मेश्राम अ.सा.05 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसी आरक्षक द्वारा आहत श्रीमति पुष्पा पति धनीराम को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने उसके शरीर

पर कोई चोटे नहीं पाई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुष्पाबाई को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा आहत धनीराम का कोई परीक्षण नहीं किया गया था, उसके द्वारा धनीराम के बताये अनुसार परीक्षण रिपोर्ट तैयार कर दी गई थी तथा चोट क्रमांक 01 गिरने से आ सकती है। यह स्वीकार किया चोट क्रमांक 02 से 06 गिरने से आ सकती हैं। उक्त साक्षी की साक्ष्य से घटना के समय परिवादी धनीराम को धारदार हथियार से चोटें आने की पुष्टि होती है।

**14—** साक्षी एल.पी. पटले अ.सा.04 का कथन है कि वह दिनांक 22.09.2011 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 63/11 धारा-294, 324, 506बी, 34 भा.दं. सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 23.09.2011 को प्रार्थी धनीराम क्षीरसागर की निशादेही पर घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही प्रार्थी धनीराम, साक्षी सुनीताबाई, पुष्पलता, चमेलीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये थे। उसके द्वारा दिनांक 27.09.2011 को आरोपी सीताराम के पेश करने पर बांस का डंडा जिसमें तीन गठान थी तथा आरोपी जानकीप्रसाद के पेश करने पर पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी जिसमें धार वाल फल था तथा बांस का बेसा लगा हुआ था, को गवाह रिखीराम और दीनदयाल के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.004 तथा 05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को उन्हीं गवाहों के के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 एवं 07 तैयार किया था, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उसने घटनास्थल का मौकानक्शा थाने में बैठकर ही तैयार किया था तथा उसने प्रार्थी धनीराम की निशादेही पर नहीं बनाया था, उसने साक्षी सुनीता, पुष्पाबाई, चमेलीबाई के



कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किये थे, उसने गवाहों के कथन प्रार्थी धनीराम के बताये अनुसार लेख किया था, आरोपी सीताराम द्वारा बांस का डंडा व जानकी प्रसाद द्वारा कुल्हाड़ी थाने में पेश नहीं की गई थी तथा उसने रिखीराम और दीनदयाल के समक्ष जप्ती पत्रक तैयार नहीं किया था और ना ही आरोपीगण को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया था। विवेचक साक्षी की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है तथा प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिनसे विवेचना कार्यवाही पर अविश्वास किया जावे।

**15—** घटना के तत्काल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। परिवादी धनीराम अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से होती है। परिवादी के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई गंभीर विरोधाभास एवं लोप नहीं है। परिवादी धनीराम अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि साक्षी पुष्पलता अ.सा.02 के कथनों से भी होती है। परिवादी एवं अभियुक्तगण के मध्य कोई गंभीर पूर्व व्यमनस्य स्थापित नहीं हुआ है, जिसे लेकर यह माना जा सके कि उसने अभियुक्तगण को घटना में असत्य रूप से लिप्त किया हो। जहाँ तक आहत पुष्पलता अ.सा.02 को उपहति करने का प्रश्न है। उक्त संबंध में स्वयं पुष्पलता अ.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट नहीं करना स्वीकार किया है और चिकित्सा साक्ष्य से भी उसे कोई उपहति दर्शित नहीं है। अभियुक्तगण को धनीराम अ.सा.01 द्वारा कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन दिया गया हो, ऐसे कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। घटना क्रम से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने उक्त चोटें परिवादी को स्वेच्छया कारित की।

**16—** परिवादी धनीराम अ.सा.01 की साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट से उसकी पुष्टि, डॉ० मेश्राम अ.सा.05 की चिकित्सा साक्ष्य से परिवादी की चोटों की पुष्टि एवं साक्षी पुष्पलताबाई अ.सा.02 की साक्ष्य से परिवादी के कथनों की पुष्टि से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने कुल्हाड़ी तथा लकड़ी से परिवादी धनीराम को स्वेच्छया

उपहति कारित की। आहतगण के कथनों के अनुसार खेत पर घास काटने के दौरान हुए विवाद पर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गई। अभियुक्तगण द्वारा घटना के पूर्व परिवादी से मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया या पूर्व चिंतन किया हो, ऐसे तथ्य अभिलेख पर नहीं है, परंतु जमीन के विवाद के संबंध में जिस तरह घटना हुई, उससे यह कहा जा सकता है कि घटनास्थल पर ही उनका सामान्य आशय निर्मित हो गया था। अतः अभियुक्तगण सीताराम तथा जानकी प्रसाद को भा.दं०सं. की धारा-323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा भा.द.सं. की धारा-324/34 में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

**17-** आरोपीगण द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट

### पुनश्च-

**18.** दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण एवं परिवादी पक्ष एक ही परिवार के होकर आपस में सगे भाई है। प्रकरण में परिवादी द्वारा आरोपीगण के साथ राजीनामा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

**19.** बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है तथा उभयपक्ष के मध्य राजीनामा दर्शित है। उभयपक्ष के द्वारा व्यक्त किया गया है कि पूर्व में पारिवारिक बंटवारे के संबंध में विवाद चला आ रहा है, जो वर्तमान में विधिवत् बंटवारा हो जाने के कारण समाप्त हो चुका है और उभयपक्ष के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में कारावास का दंड दिये

जाने से उभयपक्ष के मध्य वैमनस्यता तथा विवाद बढ़ने की संभावना है। फलतः अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध को देखते हुए उन्हें मात्र अर्थदण्ड दिये जाने से न्याय की पूर्ति संभव है। अतः अभियुक्तगण सीताराम एवं जानकीप्रसाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अपराध के लिए 500-500(पांच-पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की राशि के लिये एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

**20.** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस का डण्डा तथा कुल्हाड़ी बेसा सहित मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के पालन हो।

**21.** प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी के  
कीय / विधिक उप